

वि.स.प्र.क. - परिशिष्ट 'चालीस'

प्रश्न सं. [क. 1143]

राज्य कृषक आयोग

कार्य प्रक्रिया / 3622

राज्य शासन ने खेती को लाभकारी तथा कृषक समुदाय के जीवनस्तर को बेहतर बनाने हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए उपायों की अनुशंसा करने के लिए राज्य कृषक आयोग का गठन किया है। आयोग को संदर्भित विषय निम्नानुसार हैं :-

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर खेती को लाभकारी एवं भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव।
- प्रमुख खरीफ, रबी एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन/उत्पादकता में
- विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुझाव।
- कृषि आदान के महत्वपूर्ण घटकों, जैसे उर्वरक, विशेषकर जैविक खाद, बीज साख सुविधा, कृषि विस्तार कार्यक्रम आदि की वर्तमान व्यवस्था को सरल, किसानोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव।
- खेती के विकास के लिए कम लागत की उपयोगी एवं प्रभावी तकनीक के विकास तथा कृषि जिनसों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
- सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती के विकास, भूमि एवं जल संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव।
- कृषि उत्पादों के भंडारण एवं मूल्य संवर्द्धन तथा वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था एवं कृषि विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि को विकासोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव।
- कृषि साख के अंतर्गत कृषि ऋणों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव।
- कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तिकरण के लिए उपायों की सिफारिश।
- शिक्षित युवाओं को खेती में बनाये रखने व आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना और इस प्रयोजनार्थ मिश्रित खेती को बढ़ावा देने एवं इसके संदर्भ में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धतियों की सिफारिश।

- फसल बीमा का समुचित लाभ किसानों को प्राप्त हो सके, इस संबंध में सुझाव ।
- और ऐसे कोई विषय जो इस संबंध में प्रासंगिक हो या राज्य शासन द्वारा आयोग को भविष्य में संदर्भित किये जाने वाले हों

प्रति-१ पृ. १ से २ तक

सहायक अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन,
कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1143 अतारांकित का परिशिष्ट - दो

क्रमांक	स्कीम	वर्ष	आवंटन (रूपयें)	व्यय (रूपयें)
1	9187-	2011-12	1550000	1288028
2	राज्य कृषक आयोग मद - 13	2012-13	1001000	0
3		2013-14	4392000	2153800
4		2014-15	9720000	5071724
5		2015-16	9110000	4209984

अनुभान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल